कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन भोपाल–462004

क्रमांक 344/17–22/आउशि/शाखा–5 अ/2014 भोपाल,दिनांक 7/06/14

प्रति,

संचालक
उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान,
भोपाल।

विषयः प्रदेश के चुनिन्दा कालेजो को राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थानों से साझेदारी करने हेतु प्रदेश के चयनित 12 महाविद्यालयों की साझेदारी की कार्य योजना बनाने के संबंध में।

संदर्भः मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ 23–10/2014/38–2, दिनांक 31.5.2014

--0--

राज्य शासन ने संदर्भित पत्र के द्वारा प्रदेश के चुनिन्दा कालेजों को राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थानों से साझेदारी करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए हैं तथा नोडल अधिकारी के रूप में आपकी संस्था का चयन कर मूर्त रूप देने हेतु अधिकृत किया जाता है।

पत्र में अंकित बिन्दुओं का अध्ययन कर सुचारू संचालन की व्यवस्था करें तथा समय–समय पर प्रगति से राज्य शासन/अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराने का कष्ट करें।

(डॉ. ~~डी.एस. निरंजन~~)
वि.क.अ. सह आयुक्त
उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक 345/17–22/आउशि/शाखा–5 अ/2014 भोपाल, दिनांक 7/06/14

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. कुलपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर म.प्र.।
3. कुलसचिव समस्त विश्वविद्यालय, म.प्र.
4. विशेष सहायक, माननीय मंत्री/राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
5. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा, म.प्र.।
6. प्राचार्य, समस्त शासकीय उत्कृष्टता महाविद्यालय यथा –
   होल्कर विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर, टी.आर.एस. महाविद्यालय रीवा, आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर, कन्या महाविद्यालय, सागर, महाराजा महाविद्यालय, छतरपुर, जीजाबाई स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इन्दौर, कमलाराजे कन्या महाविद्यालय, ग्वालियर, सरोजिनी नायडू कन्या महाविद्यालय, भोपाल, माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन, नर्मदा महाविद्यालय, होशंगाबाद एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शहडोल म.प्र.।

..............की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

7.6.14
(डॉ. के.एम. जैन)
संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश

Sazedari letter 5 Jun 14

17.52
3/5/14

मध्यप्रदेश शासन,
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय भोपाल–462004

कार्यालय, उच्च शिक्षा संचालनालय
क्र. 1350
दिनांक 3/6/14

क्रमांक एफ 23–10 / 2014 / 38–2 भोपाल, दिनांक 31/5/14

प्रति,

आयुक्त,
उच्चशिक्षा, सतपुड़ा भवन संचालनालय,
मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषयः प्रदेश के चुनिन्दा कालेजों को राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थानों से साझेदारी करने हेतु प्रदेश के चयनित 12 महाविद्यालयों की साझेदारी की कार्य योजना बनाने के संबंध में ।

–0–

प्रदेश के महाविद्यालयों में वर्तमान समय की वैश्विक चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में गुणवत्ता आधारित अकादमीय व्यवस्था को संचालित करने के उद्देश्य से संस्थाओं के लिए पारस्परिक आदान–प्रदान करने की आवश्यकताओं को देखते हुए चयनित 12 महाविद्यालयों के साथ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थानों से साझेदारी का निर्णय लिया गया है। योजना का उद्देश्य प्रदेश के शिक्षकों और विद्यार्थियों के अनुभव का विस्तार करना और उन्हें बौद्धिक तथा सांस्कृतिक रूप से समृद्ध करना है जिससे प्रदेश की संस्थाएं लाभान्वित हों सकें और उच्चस्तरीय संस्थाओं के साथ कार्य कर वैश्विक मानकों के सापेक्ष शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके । राष्ट्रीयता की भावना की अभिवृद्धि, उसके सांस्कृतिक प्रसार और वैश्विक जीवन–मूल्यों के निर्माण तथा उत्कृष्ट नागरिकता की अभिव्यक्ति के लिए साझेदारी की कार्य–योजना निम्नवत बनायी जाती है –

2. उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शासन द्वारा मध्य प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय स्वशासी महाविद्यालयों / उत्कृष्टता संस्थानों में से 12 निम्न संभावनाशील महाविद्यालयों / संस्थानों का चयन किया गया है–

क्र	महाविद्यालय / संस्थान	स्थान	
1	उच्चशिक्षा उत्कृष्टता संस्थान,	भोपाल	नोडल केन्द्र
2	होल्कर विज्ञान महाविद्यालय,	इंदौर	
3	टी0आर0एस0 महाविद्यालय,	रीवा	
4	आदर्श विज्ञान महाविद्यालय	जबलपुर	
5	शासकीय कन्या महाविद्यालय	सागर	
6	महाराजा महाविद्यालय	छतरपुर	
7	जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय	इन्दौर	
8	कमलाराजे कन्या महाविद्यालय	ग्वालियर	
9	शास0 सरोजिनी नायडू कन्या महाविद्यालय	भोपाल	
10	शास माधव विज्ञान महाविद्यालय	उज्जैन	
11	शासकीय नर्मदा महाविद्यालय	होशंगाबाद	
12	शासकीय पी जी महाविद्यालय	शहडोल	

3. योजना के समग्र क्रियान्वयन के लिए भोपाल स्थित **उच्चशिक्षा उत्कृष्टता संस्थान** को उत्तरदायित्व सौंपते हुए **नोडल संस्था** के रूप में कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है । संस्था के संचालक द्वारा इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए पृथक से प्रकोष्ठ गठित किया जाये जो सीधे संचालक की अध्यक्षता में कार्य करेगा । इस हेतु उच्चशिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल में संचालक की अध्यक्षता में किसी वरिष्ठ प्राध्यापक को सदस्य सचिव रखते हुए एक कार्यकारी समिति का गठन किया जाए जो योजना का विस्तृत क्रियान्वयन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके ।

4. उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान समग्र उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्नानुसार कार्य सम्पादित करेगा–

1. इस योजना के मूल उद्देश्यों से संस्थाओं को सुपरिचित कराने के लिये उच्चशिक्षा उत्कृष्टता संस्थान द्वारा कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए। इसके लिए संचालक उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान की अध्यक्षता में सत्र 2014–15 से **दो–दो वर्ष** के कार्यकाल के लिए एक त्रिसदस्यीय सलाहकार **समिति** का गठन किया जाए जिसमें चयनित महाविद्यालयों में से चक्रानुक्रम से तीन महाविद्यालयों के प्राचार्य सदस्य होंगे । आयुक्त उच्चशिक्षा का एक प्रतिनिधि समिति का नामांकित सदस्य होगा। उक्त समिति अपनी अवधि में प्रत्येक सेमेस्टर में एक बैठक करेगी और प्रत्येक सत्र के लिए लागू की जाने वाली योजनाओं के संबंध में कार्यकारी समिति को सुझाव देगी । समिति गठित करने की कार्यवाही उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान के संचालक द्वारा की जायेगी जिसे अनुमोदन हेतु शासन को प्रस्तुत किया जायेगा । कार्यकारी समिति प्रत्येक बैठक का कार्यवाही विवरण संचालक उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान के माध्यम से आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करेगी ।

2. उपर्युकत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वित्तीय आवश्यकता होने पर उक्त आशय का प्रस्ताव शासन के समक्ष सलाहकार समिति के अभिमत से कार्यकारी समिति में व्यय के सम्पूर्ण विवरण सहित बजट प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया जायेगा । तत्पश्चात प्रस्ताव के औचित्य के आधार पर शासन द्वारा बजट उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जायेगी । सत्रान्त में सम्पूर्ण कार्यवाही का विवरण सैमेस्टरवार प्रतिवेदन के रूप में संस्थान द्वारा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

3. चयनित महाविद्यालय/संस्थाएं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, आईसीसीआर और यूजीसी द्वारा प्रवर्तित एवं प्रचलित योजनाओं तथा नियमों को ध्यान में रखते हुए अपने यहां प्रचलित पाठ्यक्रमों में साझेदारी करने तथा विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को एक दूसरे के यहां आदान–प्रदान करने के लिये विचार करेंगी और राष्ट्रीय–अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर चयनित शिक्षकों/विद्यार्थियों को उक्त उददेश्यों की पूर्ति हेतु अवसर प्रदान करने की कार्यवाही करेंगी।

4. चयनित सभी संस्थाएं राष्ट्रस्तरीय संस्थाओं से पारस्परिक लाभ उठाने हेतु शिक्षकों को अपने यहां सत्र व्याख्यान के लिये आमंत्रित करेंगी एवं विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के विकास के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम चलायेंगी।

5. चयनित संस्थाओं में शोध और अनुसंधान गतिविधियों को सतत संचालित करने के लिए उचित वातावरण बनाने हेतु कार्यशालाओं/ संगोष्ठियों का आयोजन किया जाय तथा शिक्षकों को शोध परियोजनाएं लेने के लिये प्रोत्साहित किया जाए।

6. चयनित सभी संस्थाएं स्वयं को शोध–केन्द्र के रूप में विकसित करें । यदि संस्थाएं शोध–केन्द्र के रूप में मान्य नहीं हैं तो वे विश्वविद्यालयों से संपर्क कर शोध केन्द्र के रूप में मान्यता प्राप्त करें, आवश्यकतानुसार शोध जर्नल प्रकाशित करें और अन्तर–अनुशासनिक और अन्तर–भाषिक प्रमाणपत्र, डिप्लोमा आदि पाठ्यक्रमों को संचालित करने पर भी विचार करें।

7. चयनित संस्थाएं परस्परिक संवाद और भागीदारी के लिये अपना एक समवाय (क्लस्टर) तैयार करेंगी जिससे एक दूसरे के अनुभव और दृष्टिकोण से लाभ उठा सकें । पाठ्यक्रम विकास, अध्ययन–अध्यापन की नई विधाएं, शिक्षकों के प्रशिक्षण और मूल्यांकन विधियों के लिए नवाचार करने की दिशा में भी ये संस्थाएं विचार करेंगी और अपना प्रस्ताव रखेंगी ।

8. मध्य प्रदेश की ये संस्थाएं आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय महत्त्व या केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित संस्थाओं के साथ –साथ महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयों / प्रतिष्ठानों से भी अनुबंध करेंगी। इन इकाइयों से संपर्क कर अपने यहां मानव संसाधन विकसित करने के लिये रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम संचालित करने पर विचार करेंगी ।

9. संस्थाएं प्रारंभिक स्तर पर स्वयं की ओर से पहल करने के लिए पारस्परिक साझेदारी हेतु प्रथम चरण में इस योजना को राष्ट्रीय संस्थाओं से साझेदारी करने के लिये लागू करे । इसके पश्चात संस्थाओं के अनुभव के आधार पर डाटा बेस तैयार होने पर अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं से अनुबंध करने पर विचार करे तथापि शिक्षकों / विद्यार्थियों का राष्ट्रीय–अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं में स्वयं के आधार पर चयन होने पर सांस्कृतिक आदान–प्रदान के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही की जाए जिससे संस्थाओं का गौरव बढ़े और संस्थाओं के राष्ट्रीय –अन्तरराष्ट्रीय संबंध / अनुबंध का मार्ग सुगम हो सके।

10. जिन राष्ट्रीय–अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं से ये महाविद्यालय / संस्थाएं संपर्क करना चाहती हैं, अनुबंध करने के पूर्व शासन को अनिवार्य रूप से अवगत करायें।

(सी.बी.पड़वार)
उपसचिव
म.प्र शासन, उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

पृ कमांक एफ 23–10 / 2014 / 38–2 भोपाल,दिनांक ....

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. कुलपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर म.प्र.।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री / राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
4. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र.।
5. प्राचार्य, समस्त शासकीय उत्कृष्टता महाविद्यालय यथा –
होल्कर विज्ञान महाविद्याय,इन्दौर, टी.आर.एस. महाविद्यालय रीवा, आदर्श विज्ञान महाविद्यालय,जबलपुर, कन्या महाविद्यालय, सागर, महाराजा महाविद्यालय, छतरपुर, जीजाबाई स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इन्दौर, कमलाराजे कन्या महाविद्यालय, ग्वालियर, सरोजिनी नायडू कन्या महाविद्यालय, भोपाल, शास.माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन, शासकीय नर्मदा महाविद्यालय, होशंगाबाद एवं शासकीय पी जी महाविद्यालय शहडोल म.प्र।

..............को ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपसचिव
म.प्र शासन, उच्च शिक्षा विभाग
मत्रालय